



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक , 1944 (श०)

संख्या - 535 राँची, सोमवार, 14 नवम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 सितम्बर, 2022

संख्या-3/नि०सं०- 09-11/2020 का. 6064--श्री नीरज कुमार सिंह के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 9/2011, विशेषवाद 11/2011 दर्ज रहने तथा उक्त से संबंधित विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के फलस्वरूप दिनांक 25.09.2020 को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की अनुशंसा हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री सिंह के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखने की प्रक्रिया अपनायी गई।

2. उक्त कांड में अपर सत्र न्यायाधीश ॥ सह-विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद द्वारा दिनांक 17.02.2020 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह को दोषी करार दिया गया। न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"That the convict namely, Neeraj Kumar is hereby sentenced to undergo rigorous imprisonment for four years and also with fine of Rs. 1,00,000/- (One Lakh Only) for the offence punishable u/s 7 of the Prevention and Corruption Act 1988. In default of payment of fine, the convict shall undergo further simple imprisonment of six months and further sentenced to undergo rigorous imprisonment for five years and also with fine of Rs. 1,50,000/- (One Lakh Fifty Thousand only) for the offence punishment u/s 13(2) r/w 13(l)(d) of the Prevention of Corruption Act. 1988 and in default of payment of fine, the convict shall undergo further simple imprisonment of eight months. Both the sentences shall run concurrently. The period undergone in custody as under trial prisoner by the convict shall be set off against the substantive sentences awarded to the convict."

3. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध श्री सिंह के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर Cr. Appeal (SJ) संख्या 210/2020 में दिनांक 08.07.2020 को पारित न्यायादेश में निचली अदालत के उक्त न्यायादेश को निरस्त करते हुए श्री सिंह को आरोप मुक्त किया गया। न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"Accordingly, the impugned Judgment of conviction and Order of sentence dated 17.02.2020, passed by the Additional Sessions Judge-II-cum-Special Judge, AntiCorruption Bureau, Cyber Cases & Electricity Act, Dhanbad, in Special (Vigilance) Case No. 11 of 2011 being not sustainable in law is set aside and the appellant accused Neeraj Kumar Singh is acquitted of all the charges by giving him the benefit of doubt."

The appellant-accused- Neeraj Kumar Singh is in custody. In view of his acquittal, the appellant-accused- Neeraj Kumar Singh is directed to be released from the custody 36 Cr. Appeal (SJ) No.210 of 2020 unless his detention is required in connection with any other case."

(ii) उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 5855 दिनांक 13.11.2020 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में इन्हें आरोप मुक्त किया गया।

(iii) उक्त न्यायादेश तथा तदालोक में निर्गत संकल्प सं० 5855, दिनांक 13.11.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं०-6227, दिनांक 20.11.2008 के अनुसार श्री सिंह की प्रोन्नति से संबंधित दिनांक 04.01.2016 एवं दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न बैठक में संधारित मुहरबंद लिफाफा को खोला गया ।

(iv) दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा निम्नवत है :-

“यथेष्ट गोपनीय चारित्र्य अभियुक्ति की अनुपलब्धता के कारण प्रोन्नति के अयोग्य”

(v) दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा निम्नवत है :-

“प्रोन्नति के योग्य”

4. श्री नीरज कुमार सिंह झांप्र०से०, (कोटि क्रमांक-793/03) अनारक्षित कोटि के पदाधिकारी हैं तथा इनकी कोटि में इनसे कनीय श्री जीतेन्द्र कुमार देव, झांप्र०से०, (कोटि क्रमांक-808/03) को विभागीय अधिसूचना सं० 6093, दिनांक-28.09.2021 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

5. अतः वर्णित तथ्यों की सम्यकरूपेण समीक्षोपरांत श्री नीरज कुमार सिंह झांप्र०से०, (कोटि क्रमांक-793/03) को उनसे कनीय श्री जीतेन्द्र कुमार देव, झांप्र०से०, (कोटि क्रमांक-808/03) की अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की तिथि 28.09.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए उप सचिव उद्योग विभाग के पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

6. श्री सिंह को उक्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

7. यह प्रोन्नति याचिका संख्या WP(S) No. 3795/2003 डॉ० प्रवीण शंकर एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव।
